सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2025/ 2195 दिनांक :-29-10-2025

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।

विषय :- परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/525, दिनांक 12/01/2024,
विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1385, दिनांक 07/06/2024,
विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2024/1419, दिनांक 11/06/2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ करने संबंधी पत्र प्रेषित किये गये थे।

जिन महाविद्यालयों के द्वारा परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियॉ नही करवाई गई है वे महाविद्यालय पत्र प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करें।

यदि महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराई जाती है, तो उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को अवगत कराया जावेगा एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2025/ 2196 दिनांक :- 29-10-2025

प्रतिलिपि :-

01. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. कुलगुरूजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)